

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,

26 अरेचा हिल्स, किसान भवन, जेलघोड़ भोपाल

क्रमांक / मंडी कार्मिक / अ-2/2541 / ४६५७

भोपाल, दिनांक २६ / ११ / २०२१

—: आदेश :—

श्री हरिशचन्द्र जोशी, (निलंबित) सहायक उपनिरीक्षक, कृषि उपज मण्डी समिति सेंधवा जिला बडवानी संबद्ध कृषि उपज मण्डी समिति झाबुआ जिला-झाबुआ को विभागीय जांच जारी रखते हुए निलंबन से बहाल किया जाकर आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से कृषि उपज मण्डी समिति कसरावद जिला-खरगौन मे पदरथ किया जाता है।

श्री हरिशचन्द्र जोशी, सहायक उपनिरीक्षक के निलंबन अवधि के वेतन भत्ते आदि स्वत्वों का निराकरण उनके विरुद्ध स्थित विभागीय जांच प्रकरण में पारित आदेश के अनुसार देय होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(कार्यवाही प्रबंध संचालक महोद्धारा अनुमोदित)

✓

(एस.बी.सिंह)

अपर संचालक(कार्मिक)

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,

भोपाल

क्रमांक / मंडी कार्मिक / अ-2/2541 / ४६५८

भोपाल, दिनांक २६ / ११ / २०२१

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग सह अध्यक्ष मंडी बोर्ड।
2. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
3. अपर संचालक (वि.जॉच) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
4. संयुक्त संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय इन्दौर।
5. चीफ प्रोग्रामर, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
6. भारसाधक अधिकारी/सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति सेंधवा जिला-बडवानी/कसरावद जिला-खरगौन।
7. श्री हरिशचन्द्र जोशी, (निलंबित) सहायक उपनिरीक्षक, कृषि उपज मण्डी समिति सेंधवा जिला बडवानी संबद्ध कृषि उपज मण्डी समिति झाबुआ जिला-झाबुआ की ओर पालनार्थ।
8. आदेश नस्ती/व्यक्तिगत नस्ती/वि.जॉच/गो.च./कम्प्यूटर/एन.पी.एस. शाखा मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

✓
अपर संचालक (कार्मिक)

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड

२०११५१०५